…अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रे…

प्रकरण : संख्या – .... शीर्षक.. बनाम.............

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
	27-9-24 वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थिति पीठासीन अधिकारी राज काज भ्रमण/~~अवकाश~~ पर है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 6-12-24 को पेश हो।
	06.12.24 पत्रा० पेश हुई। पेशकार उप०। विपक्षी अधि० उप०। पत्रा० वास्ते बहस दि० 31.01.25 को पेश हो।
	31-1-25 वादी/प्रतिवादी [illegible] उपस्थिति पीठासीन अधि[illegible] अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व [illegible] पालना में दिनांक 2-5-25 को पेश हो।
	2-5-2025 पत्रावली पेश हुई। पेशकार उपस्थित। विपक्षी संख्या 8 के अधि० उप०। बहस सुनी गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर पूर्ववत स्थिति कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा०प्रा० किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम – बृजेश गुप्ता (R.A.S.)
मुकदमा नम्बर – 680/2018
किस्म मुकदमा –प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक – 14.06.2018
निर्णय दिनांक – 02.05.2025

अनवान

1. तहसीलदार राजसमन्द जिला राजसमन्द (भूमिधारी)

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री रमेश पिता धनराज ब्राहमण निवासी मुण्डोल तहसील राजसमन्द व जिला राजसमन्द।
2. श्री नानालाल पिता धनराज ब्राहमण निवासी मुण्डोल तहसील राजसमन्द व जिला राजसमन्द।
3. श्री सुन्दरलाल पिता धनराज ब्राहमण निवासी मुण्डोल तहसील राजसमन्द व जिला राजसमन्द।
4. श्री हिरालाल पिता धनराज ब्राहमण निवासी मुण्डोल तहसील राजसमन्द व जिला राजसमन्द।
5. श्री राकेश पिता धनराज ब्राहमण निवासी मुण्डोल तहसील राजसमन्द व जिला राजसमन्द।
6. भारती पिता धनराज ब्राहमण निवासी मुण्डोल तहसील राजसमन्द व जिला राजसमन्द।
7. श्रीमती प्यारी बाई पत्नि धनराज ब्राहमण निवासी मुण्डोल तहसील राजसमन्द व जिला राजसमन्द।
8. गोरधन पिता शंकरलाल ब्राहमण निवासी मुण्डोल तहसील व जिला राजसमन्द।

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित

अधिवक्ता प्रार्थी– पेरोकार राज
अधिवक्ता विपक्षी 1 से 7 –
अधिवक्ता विपक्षी सं. 8 – श्री श्यामसुन्दर पालीवाल

निर्णय

प्रार्थी पेरोकार राज ने प्रकरण अन्तर्गत धारा 177 रा. का. अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मुण्डोल के खाता संख्या 47 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 मे वर्णित आराजी सख्या 357 रकबा 0–17 बिस्वा भूमि राजस्व रिकोर्ड मे खातेदार श्री रमेश, नानालाल सुन्दरलाल, हीरालाल, राकेश, भारती पिता धनराज प्यारीबाई पत्नि धनराज 1/2 गोरधन पिता शकरलाल ब्राहमण सा.देह के नाम दर्ज रिकोर्ड है। विपक्षीगण के द्वारा उक्त आराजी मे से वर्तमान मे मौके पर मिट्टी निकाली हुई है। मौके पर 130 × 50 × 15 फीट गहरा खड्डा खुदा हुआ होकर मिट्टी निकाल रखी है। उपस्थित मौतबिरान के अनुसार खातेदार द्वारा उक्त मिट्टी अवैध रूप से निकाली जाकर बैची जा रही है। उक्त आराजी के पास ही अन्य खातेदार की पैतृक कृषि भूमिया स्थित होने से उपरोक्त आराजीयात से मिट्टी निकाले जाने से मौके पर बडा खड्डा होने से पडोसी खातेदारान के खेत की मिट्टी घसने बारिश मे मिट्टी बह कर खड्डे मे घसने तथा कोट बाड क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना है। आराजी संख्या 357 रकबा 0–17 बिस्वा भूमि के खातेदारो को पूर्व मे भी मिट्टी नही निकाले जाने बाबत कहा गया है

किन्तु इनके द्वारा अवैध रूप से मिट्टी निकालने का कार्य बंद नहीं किया गया। विपक्षीगण द्वारा कृषि भूमि का बिना सक्षम स्वीकृति के जेसीबी व ट्रेक्टर आदी संसाधन लगा कर उक्त रूपेण गैर कृषि उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के किया जा रहा है जो की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लघंन है। विपक्षीगण द्वारा कृषि भूमि को बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि उपयोग किये जाने से उक्त आराजी संख्या 357 रकबा 0–17 बिस्वा भूमि को बिलानाम सरकार करने के आदेश प्रदान करते हुए विपक्षीगण के विरूद्ध बेदखली के आदेश जारी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम मुण्डोल के आराजी संख्या 357 रकबा 0–17 बिस्वा किस्म चाही 1 पर विपक्षीगण के द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के मिट्टी का अवैध दोहन टेक्टर, जेसीबी मशीन या अन्य प्रकार से किया जाकर उक्त आराजी के स्वरूप को परिर्वतित किया गया है। विपक्षीगण के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम मुण्डोल के खाता संख्या 47 मे वर्णित आराजी संख्या 357 रकबा 0–17 बिस्वा भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जाकर उक्त भूमि से विपक्षीगण को बेदखल के आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 से 7 की और से दिनांक 02.07.2018 को जवाब पेश किया। विपक्षी संख्या 8 की और से अधिवक्ता श्री श्यामसुन्दर पालीवाल उपस्थित हुए। विपक्षी संख्या 8 की और से दिनांक 06.01.2020 को जवाब पेश किया।

दिनांक 02.07.2018 को विपक्षी सं. 1 से 7 की ओर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 से 7 उक्त आराजी मे वर्तमान मौका पर मिट्टी नही निकाली है और न ही मौके पर 130 × 50 × 15 फीट गहरा खड्डा खुदा हुआ होकर मिट्टी निकाल रखी है। वरन खेत मे चिकनी मिट्टी होने से खेतो मे कृषि नही हो पा रही है इसलिए खेत की मिट्टी को उपजाउ बनाने के लिए बालु रेत मे मिलाकर भूमि उपजाउ की जा रही है। उक्त आराजी के पास मे अन्य खातेदार की भूमियां स्थित नही है, और न ही मौके पर बडा गड्डा कर पडौसी खातेदार की मिट्टी डसने जैसी स्थिति हो रही है। स्वयं पडौसी खातेदारी की जमीन से 25 फीट दुर मिट्टी निकाल कर खेत मे उपजाउ मिट्टी तैयार की जा रही है। जिससे खेती हो सके। विपक्षी संख्या 1 ने किसी प्रकार का कृषि भूमि से अवैध रूप से मिट्टी का दोहन कर गलत रूपेण गैर कृषि उपयोग बिना सक्षम अधिकारी के किया जा रहा है सारे तथ्य मिथ्या एवं झुठे होने से अस्वीकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

दिनांक 06.01.2020 को विपक्षी सं. 8 की और जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 8 गोरधन आराजी संख्या 357 में न तो खड्डा खोदा और न ही मिट्टी निकाल कर बैंच रहा है इस आराजी के अन्य खातेदार उक्त कार्य कर रहे है विपक्षी संख्या 8 ने कृषि भुमि में से मिट्टी नही निकालने के लिए विपक्षी संख्या 1 से लगायत 7 को मना किया तो ये लोग विपक्षी संख्या 8 से लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये तो विपक्षी संख्या 8 ने इन लोगो के विरूद्ध न्यायालय आप में वाद बाबत् विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जो लम्बित है। आराजी संख्या 357 में किसी भी प्रकार का खड्डा खोद कर मिट्टी नही निकाली है। विपक्षी संख्या 8 उक्त आराजी का सहखातेदार है उसने कोई नाजायज कृत्य नही किया है उक्त प्रकरण में विपक्षी संख्या 8 को गलत पक्षकार बनाया है। उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नही किया गया है। विपक्षी संख्या 8 के द्वारा कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। विपक्षी संख्या 8 के विरूद्ध बेदखली आदेश जारी नही किया जा सकता है और न ही

आराजी संख्या 357 में उसके हिस्से की भूमि को बिलानाम सरकार करने का आदेश दिया जा सकता है।

विपक्षी संख्या 8 ने अपने जवाब के साथ विशेष कथन किया कि आराजी संख्या 357 रकबा 0–17 बिस्वा भुमि में विपक्षी संख्या 1 से 8 सहखातेदार है और किसी सहखातेदार द्वारा कृषि भुमि को अकृषि उपयोग में लिया जाता है तो उस आराजी के अन्य सहखातेदार के विरूद्ध कार्यवाही नही की जा सकती है जो खातेदार नाजायज कार्य कर रहा है उसी के विरूद्ध कानुनन कार्यवाही की जा सकती है। इस प्रकरण में विपक्षी संख्या 8 के द्वारा आराजी संख्या 357 को कृषि भुमि के रूप में ही उपयोग उपभोग किया जा रहा है। विपक्षी संख्या 8 के द्वारा इस भुमि में किसी भी प्रकार का खड्डा खोद कर मिट्टी निकाल कर नही बेंची जा रही है। विपक्षी संख्या 8 को गलत पक्षकार बनाया है और आराजी संख्या 357 की भुमि से विपक्षी संख्या 8 को बेदखल नही किया जा सकता है और न ही उसके हिस्से तक की भुमि को बिलानाम घोषित करने का आदेश दिया जा सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विपक्षी संख्या 8 के विरूद्ध खारिज फरमाया जावे।

दिनांक 02.05.2025 को प्रकरण में बहस सुनी गई।

पेरोकार राज ने प्रार्थना पत्र बिन्दुओ को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमियो के मौके पर मौके पर 130 × 50 × 15 फीट गहरा खड्डा खुदा हुआ होकर मिट्टी निकाली गई है। अतः विपक्षीगण के विरूद्ध वादग्रस्त भूमियो की पूर्ववत स्थिति बहाल किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 8 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 8 गोरधन आराजी संख्या 357 में न तो खड्डा खोदा और न ही मिट्टी निकाल कर बैंच रहा है इस आराजी के अन्य खातेदार उक्त कार्य कर रहे है विपक्षी संख्या 8 ने कृषि भुमि में से मिट्टी नही निकालने के लिए विपक्षी संख्या 1 से लगायत 7 को मना किया तो ये लोग विपक्षी संख्या 8 से लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये तो विपक्षी संख्या 8 ने इन लोगो के विरूद्ध न्यायालय आप में वाद बाबत् विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जो लम्बित है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विपक्षी संख्या 8 के विरूद्ध खारिज फरमाया जावे एवं विपक्षी संख्या 1 से 7 को पूर्ववत स्थिति कायम करने हेतु पाबन्द किया जावे साथ ही विभाजन का उक्त वाद स्वीकार कर प्रार्थी का हिस्सा विपक्षी संख्या 1 से 7 से पृथक कराया जावे।

न्यायालय द्वारा अधिवक्ता विपक्षी संख्या 8 एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह जाहिर आया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम मुण्डोल की आराजी संख्या 357 रकबा 0–17 बिस्वा विपक्षीगण संख्या 1 से 8 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। उक्त आराजी संख्या 357 की भूमि में से मिट्टी निकाल कर मौके पर 130 × 50 × 15 फीट गहरा खड्डा खोद दिया जाने से प्रार्थी तहसीलदार राजसमन्द ने विपक्षीगण 1 से 8 के विरूद्ध धारा 177 रा0 का0 अधि0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद ग्रस्त भूमि को बिलानाम घोषित करने एवं विपक्षीगण के विरूद्ध उक्त भूमि से बेदखली का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है। विपक्षी संख्या 8 ने अपने जवाब एवं बहस में निवेदन किया कि उक्त मिट्टी निकाले जाने में उसकी कोई भागीदारी नही है बल्कि विपक्षी संख्या 1 से 7 द्वारा मिट्टी निकाली गई है जिससे विपक्षी 8 के विरूद्ध प्रकरण खारिज फरमाया जावे। विपक्षी संख्या 1 से 7 ने अपने जवाब में बताया कि उनके द्वारा खेत की मिट्टी नही निकाली है और न ही मौके पर 130 × 50 × 15 फीट गहरा खड्डा खुदा हुआ है बल्कि खेत मे चिकनी मिट्टी होने से खेतो मे कृषि नही हो पा रही है इसलिए उनके द्वारा खेत की मिट्टी को उपजाउ बनाने के लिए बालु रेत मे मिलाकर भूमि उपजाउ की जा रही है। अतः

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे। उपरोक्त प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षीगण के जवाब एवं बहस पर मनन के पश्चात न्यायालय का मत है कि विपक्षी संख्या 1 से 7 ने अपने जवाब मे यह स्वीकार किया है कि मौके पर उक्त आराजी 357 की भूमि उपजाउ नही होने से भूमि को खोदकर मिट्टी मे रेत/बालु मिट्टी मिलाकर भूमि को उपजाउ बनाने का कार्य किया जा रहा है। इससे यह साबित होता है कि विपक्षीगण द्वारा मिट्टी की खुदाई की गई है किन्तु यह भी जाहिर होता है कि उक्त भूमि से मिट्टी निकालकर विपक्षीगण द्वारा भूमि का कोई गैर कृषि उपयोग नही किया जा रहा है। तथापि तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार भूमि मे मौके पर 130 × 50 × 15 फीट गहरा खड्डा खुदा हुआ पाया जाने से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिससे भूमि मे बिना सक्षम स्वीकृति के उक्त कार्य किया जाने से विपक्षीगण 1 से 7 को मौके पर पूर्ववत स्थिति कायम करने हेतु एवं भविष्य मे बिना सक्षम स्वीकृति के अवैध रूप से मिट्टी का खनन नही करने हेतु पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः प्रार्थी तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा. का. अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम मुण्डोल की आराजी नम्बर 357 रकबा 0–17 बीघा भूमि की पूर्ववत स्थिति कायम किये जाने के आदेश दिया जाता है। विपक्षीगण 1 से 7 को पाबन्द किया जाता है कि मौके पर पूर्ववत स्थिति कायम करे एवं भविष्य मे सक्षम स्तर से स्वीकृति करने के उपरान्त ही खनन कार्य करे। तहसीलदार राजसमन्द को आदेशित किया जाता है कि मौके की पूर्ववत स्थिति बहाल करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

बृजेश गुप्ता (R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमन्द

उक्त आदेश आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद